न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 75/2020

अनुवान राम केश खोत बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2020

राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत जाति जाट निवासी पिचकराईं ताल तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादी –

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थिति:

1. एडवोकेट श्री ओमप्रकाश चौधरी, श्री बन्टी सिंह वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 425 रकबा 4.2200 हैक्टेयर रोही मौजा पीरेर तहसील सरदारशहर में अवस्थित है। वादगत कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र काशीराम अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत है। अन्य सह खातेदार श्रवण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही होने से उन्हें पक्षकार वाद नहीं बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत के स्थान पर रामलाल पुत्र काशीराम राजस्व कर्मचारियों की सहवन से सही [illegible] वश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। जबकि काशीराम के रामलाल के नाम से कोई संतान नहीं है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम

शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी का नाम उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजों में राम केश खोत पुत्र काशी राम अंकित है। जो कि सत्य व सही है। रामलाल पुत्र काशीराम नाम वादी का वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज वादी का नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है। वादी का वास्तविक नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में रामलाल पुत्र काशीराम अंकित होने से वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम रामलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर सही नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादी को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादी प्रतिवादी से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम रामलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर सही नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम पीरेर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर स्वयं की वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 425 रकबा 4.2200 हैक्टेयर रोही मौजा पीरेर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र काशीराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे द[illegible]तिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया [illegible]नुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र काशीराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर [illegible] नाम राम केश खोत पुत्र काशी राम खोत घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं हो[illegible]जाहिर किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. कार्यालय ग्राम पंचायत पिचकराई ताल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
2. जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 425 की छायाप्रति।
3. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. वादी के बैंक पास बुक की छायाप्रति।
5. वादी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा 2008 की अंक तालिका की छायाप्रति।
6. वादी के जन–आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. वादी के भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
8. वादी के मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
9. वादी के पैन कार्ड की छायाप्रति।
10. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम राम केश खोत अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 425 रकबा 4.2200 हैक्टेयर रोही मौजा पीरेर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र काशीराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम राम केश खोत उर्फ रामलाल पुत्र काशी राम खोत दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	पीरेर	425	रामलाल पुत्र काशीराम	राम केश खोत उर्फ रामलाल पुत्र काशी राम खोत

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी

सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 75/2020
अनुवान राम केश खोत बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट, श्री बन्टी सिंह एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 425 रकबा 4.2200 हैक्टेयर रोही मौजा पीरेर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र काशीराम अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम राम केश खोत उर्फ रामलाल पुत्र काशी राम खोत दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज.....................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested